प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः जी-220/जी–5–03ए/2016(1) दिनांक 20 जून, 2016

विषयः उ0प्र0 राजस्व संहिता यथा संशोधित 2016 की धारा–225 ग के अन्तर्गत ग्राम राजस्व समितियों के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–225 ग में ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति गठित किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 753/एक–1–2016–20(11) /2016, दिनांक 09 जून 2016 जारी की गयी है, जो निम्नवत् है–

"उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 193 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा 225–ग की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचित करते है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर प्रकरणों के निस्तारण और सम्बन्धित ग्राम पंचायत के व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक ग्राम राजस्व समिति गठित की जायेगी।"

राजस्व संहिता की धारा–225 ग में ग्राम राजस्व समिति का प्राविधान किया गया है जो निम्नानुसार है :–

(1)–संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी समिति, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यथाओं के निवारण में विहित रीति से सहायता करने के लिए, गठित करेगा।

(2)–उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होगें जो विहित रीति से नामित या पदनामित किये जायेगें।

परन्तु यह कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होगा।

समिति के गठन हेतु प्रक्रिया का वर्णन उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 में किया गया है, जो निम्नवत् है :–

नियम–193– ग्राम राजस्व समिति का गठन (धारा–225–ग)

(1)–प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम राजस्व समिति होगी और उस समिति में अध्यक्ष सहित पांच से अनधिक सदस्य होगें।

(2)–भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष ग्राम राजस्व समिति का अध्यक्ष होगा।

(3)–चुनाव में प्रधान पद के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला, यदि कोई हो, ग्राम राजस्व समिति का उपाध्यक्ष होगा। यदि प्रधान पद के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला कोई नही है तो ग्राम राजस्व समिति के सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

(4)–इस नियमावली के प्रारम्भ हो जाने के बाद यथाशीघ्र, और उसके बाद प्रत्येक बार जब भूमि प्रबन्धक समिति का गठन हो, तो प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, एक लिखित आदेश द्वारा कोई तिथि नियत करेगा जिस पर भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य बैठक करेंगे और संहिता की धारा–225–ग के अन्तर्गत ग्रांम राजस्व समिति का गठन करने के लिये अपने में से तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे।

(5)–उपनियम (4) के अन्तर्गत आदेश निर्गत किये जाने पर भूमि प्रबन्धक समिति का सचिव भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह की नोटिस देगा जिसमें भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम राजस्व समिति के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या और दिनांक, समय तथा बैठक का स्थान उल्लिखित होगा।

(6)–बैठक के लिये आवश्यक गणपूर्ति भूमि प्रबन्धक समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होगी।

(7)–जैसे ही बैठक प्रारम्भ होती है, अध्यक्ष ग्राम राजस्व समिति के सदस्य के पद पर चुनाव के लिये नामांकन आमंत्रित करेगा जो भूमि प्रबन्धक समिति के दो सदस्यों द्वारा समर्थित होगा जिसमें एक प्रस्तावक और दूसरा समर्थक होगाः

परन्तु यह कि कोई उम्मीदवार अपना स्वयं का नाम प्रस्तावित कर सकता है।

(8)–अध्यक्ष, सभी वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे उसी समय घोषित करेगा।

(9)–यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है तो अध्यक्ष ऐसे सभी उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(10)–यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या पद की अपेक्षित संख्या से कम है तो अध्यक्ष ऐसे सभी उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। उसके बाद इस नियमावली मे विहित प्रक्रिया के अनुसार शेष पदों को भरने के लिये फिर से कार्यवाही करेगा।

(11)–यदि वैध रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से अधिक है तो अपेक्षित सदस्य, भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

(12)–मत व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा और कोई भी मत परोक्षी द्वारा मान्य नही होगा। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नही होगा।

(13)–अध्यक्ष, मत पड़ जाने के बाद, यथाशीघ्र, उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतों का एक अभिलेख तैयार करेगा और पदों की संख्या की सीमा तक उन उम्मीदवारों का

सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जो क्रम से अधिकतम मत प्राप्त किये हों।

(14)–उम्मीदवारों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष सदस्यों की उपस्थिति में लाटरी निकालेगा और वह उम्मीदवार जिसका नाम पहले निकलता है सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(15)–राजस्व ग्राम समति के सदस्य पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया यथा सम्भव वही होगी जो पूर्ववर्ती नियमों में दी गयी है।

(16)–भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम राजस्व समिति के गठन के लिये वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची सहित प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिये उप–जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के पास भेजेगी। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ग्राम राजस्व समिति गठित मान ली जायेगी।

(17)–यदि भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम राजस्व समिति के गठन के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने के निदेश का पालन नही करती है तो कलेक्टर संहिता की धारा–71 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(18)–ग्राम राजस्व समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करेगी जो संहिता या नियम या विनियम या राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निदेशों द्वारा अधिरोपित या समनुदिष्ट किया जाय।

(19)–यदि शपथ–पत्र से समर्थित किसी शिकायती प्रार्थना–पत्र से या अन्यथा कलेक्टर का, आवश्यक जांच के बाद, यह समाधान हो जाता है कि ग्राम राजस्व समिति युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना संहिता या नियम या विनियम या राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों द्वारा अधिरोपित या समनुदिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों का पालन, करने से इन्कार कर दिया गया है या करने में असफल रही है तो वह ग्राम राजस्व समिति को विघटित कर सकता है और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नयी ग्राम राजस्व समिति का गठन कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम राजस्व समिति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना भंग नही किया जायेगा।

(20)–ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य का त्यागपत्र कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति को इस नियम में एतस्मिन पूर्व उल्लिखित रीति से भरी जायेगी।

(21)–यदि ग्राम राजस्व समिति का कोई सदस्य एतस्मिन पूर्व यथा उल्लिखित अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अपने कृत्यों का पालन नही कर रहा है तो भूमि प्रबन्धक समिति ऐसे सदस्य को हटाने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसे उप–जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन के लिए अग्रसारित किया जायेगा।

(22)–यदि सदस्य के हटाये जाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो सम्बन्धित सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा और विधि के अनुसार उसे भरा जायेगा।

(23)–ग्राम राजस्व समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही उसके गठन में किसी त्रुटि अथवा उसमें किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार मात्र पर अवैध नही होगी।

अतः प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 यथा संशोधित–2016 की धारा–225 ग के प्राविधानों के अनुरूप एक माह के भीतर प्रत्येक जनपद में ग्राम राजस्व समितियों के गठन करने की कार्यवाही पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से परिषद को भी अवगत करायें। प्रश्नगत ग्राम राजस्व समिति के चयन हेतु बुलाई गयी बैठक में विकास खण्ड स्तरीय/न्याय पंचायत स्तरीय अधिकारियों को भी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।

संख्या– /जी–5–03ए/2016(1), तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– राजस्व परिषद के समस्त अनुभाग।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

2016/2-16

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।